भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 800

दिनांक 8 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

800. श्री नीरज डांगी :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीते तीन वर्षों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित होने वाली महिला लाभार्थियों का विशेषकर राजस्थान में और अन्य राज्यों में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान पात्र महिलाओं को मिली मातृत्व लाभ राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वर्ष (2023-24) के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अनुमानित बजट राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सहित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) : पीएमएमवीवाई के तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/ डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है, ताकि औसतन एक महिला को 6,000/- रूपये मिल सके। संशोधित पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दिनांक 01.04.2022 से दूसरे बच्चे के लिए 6,000/-रुपये का नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है,जिसमें शर्त यह है कि दूसरा बच्चा लड़की होनी चाहिए ।

(ग) : पीएमएमवीवाई घटक सहित मिशन शक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) 3143.96 करोड़ रुपये है।

******

अनुलग्नक

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के उत्तर के भाग(क) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,356	2,189	1,644
2	आंध्र प्रदेश	5,12,648	2,92,094	39,226
3	अरुणाचल प्रदेश	9,320	8,529	4,204
4	असम	4,17,913	2,01,400	2,85,471
5	बिहार	8,91,050	11,81,671	4,76,243
6	चंडीगढ़	9,449	7,986	8,119
7	छत्तीसगढ़	2,49,714	1,83,332	1,92,578
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6,623	4,785	4,795
9	दिल्ली	1,04,221	80,607	1,26,853
10	गोवा	6,372	6,187	4,217
11	गुजरात	4,07,896	1,62,926	93,330
12	हरियाणा	2,17,033	1,19,822	2,10,874
13	हिमाचल प्रदेश	81,449	67,530	66,039
14	जम्मू और कश्मीर	85,801	60,380	1,11,946
15	झारखंड	2,72,441	1,78,563	1,52,662
16	कर्नाटक	5,37,386	5,06,308	4,46,404
17	केरल	2,73,181	2,16,813	2,88,397
18	लद्दाख	0	1,173	1,071
19	लक्षद्वीप	327	665	481
20	मध्य प्रदेश	9,79,547	9,33,964	9,10,109
21	महाराष्ट्र	10,32,254	8,08,517	7,82,527
22	मणिपुर	23,979	16,442	8,353
23	मेघालय	16,380	10,004	12,689
24	मिजोरम	9,395	7,376	8,151
25	नागालैंड	15,207	6,073	4,655
26	ओडिशा	0	0	0
27	पुदुचेरी	10,553	6,477	9,139
28	पंजाब	1,49,709	1,27,204	52,846
29	राजस्थान	5,35,006	4,51,863	4,76,509
30	सिक्किम	4,632	3,219	2,668
31	तमिलनाडु	5,24,185	4,69,571	2,74,703
32	तेलंगाना	0	0	0
33	त्रिपुरा	42,717	24,277	16,723
34	उत्तर प्रदेश	16,42,844	13,02,623	9,89,646
35	उत्तराखंड	75,827	80,994	71,952
36	पश्चिम बंगाल	4,86,151	11	2
	कुल योग	**96,33,566**	**75,31,575**	**61,35,226**